

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-30/2018/ दिनांक:—


अधीक्षक,

पी बी एम एवं संबद्ध चिकित्सालय वर्ग,
बीकानेर।

विषय:— चयनित नर्स-2 के परिवीक्षाकाल में लिये गये असाधारण अवकाश
स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ:— आपका पत्रांक 20732-35 दिनांक 25.07.2018 एवं 21208 दिनांक
28.07.2018 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के क्रम में लेख है कि आप द्वारा भिजवायें गये कार्मिको के जीए-45 में अवकाश पर रहने का कारण अंकित नहीं है अतः कारण अंकित करवाकर जीए-45 भिजवायें एवं कार्मिक उक्त अवधि के अलावा परिवीक्षाकाल में किसी अन्य असाधारण अवकाश का उपभोग किया अथवा नहीं की सूचना भिजवावे। सूचना भिजवाने के पश्चात ही प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।



संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

दिनांक:— 18-10-2018

क्रमांक:—नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-30/2018/ 1426

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 2- प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।


संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर